

# ब-अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

आर0ई0आर0 केश सं0- 35 / 19-20

धर्मदास पासवान बनाम् मो0 समीम वगै0

**-: आदेश :-**


14.02.2023

वर्तमान वाद आवेदक धर्मदास पासवान, पे0-स्व0 सिगेश्वर दास, सा0-गोरगामा, थाना-हनवारा, जिला-गोड्डा के आवेदन पर मौजा-गोरगामा नं0-448, जमाबंदी नं0-10, दाग नं0-382, रकवा-00-10-05 धूर भूमि से विपक्षीगण मो0 समीम, पे0-स्व0 जफ़ीर,, सा0-नयानगर, मो0 मत्तो, पे0-स्व0 उलफत हुसैन, मो0 फियाज, पे0-स्व0 नसार मौलवी, सभी सा0-गोरगामा, थाना-हनवारा, जिला-गोड्डा को संधाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा-20 एवं 42 के तहत उच्छेद करने हेतु दायर वाद पर प्रक्रिया प्रारंभ किया गया है। तदनुसार उभय पक्ष द्वारा निर्गत नोटिस के विरुद्ध न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कागजात दाखिल किया गया।


अंचल अधिकारी, महागामा द्वारा अपने पत्रांक-283/रा0, दिनांक-08.03.2021 से जांचोपरांत प्रतिवेदित किया गया है कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय, आर0ई0आर0 केश नं0-135/77-78 में दिनांक-09.05.1979 को आदेश पारित किया गया है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा पारित आदेश के उपरांत पुनः उक्त वाद में आदेश पारित करने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

  
14.02.23

अनुमंडल पदाधिकारी  
महागामा।

  
14.02.23

अनुमंडल पदाधिकारी  
महागामा।

Seen  
Mr. Sand Ali  
12/4/2023

Seen  
Anumandal  
12/4/23